

पर्यावरण नीतियों के क्रियान्वयन में जौनपुर जिला पंचायत की भूमिका

Prakash Chandra Shukla

Research scholar MJP Ruhel Khand University Bareilly

Prof, Neelam Gupta

Professor MJP Ruhel khand University Bareilly

सार

जौनपुर जिला पंचायत भारत में जमीनी स्तर पर पर्यावरण नीतियों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक स्थानीय शासी निकाय के रूप में, पंचायत प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास प्रथाओं को अपनाने और क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण, वनीकरण और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित नीतियों के कार्यान्वयन के माध्यम से, पंचायत केंद्र और राज्य सरकारों और स्थानीय समुदायों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है। जौनपुर जिला पंचायत द्वारा पर्यावरण नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन स्थानीय पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने, जागरूकता को बढ़ावा देने और पारिस्थितिक स्थिरता में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में पर्यावरणीय विचारों को एकीकृत करके, पंचायत राष्ट्रीय और वैश्विक पर्यावरणीय लक्ष्यों, जैसे सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) की प्राप्ति में योगदान देती है। यह शोधपत्र पर्यावरण शासन में जौनपुर जिला पंचायत की भूमिका का पता लगाता है, इसकी रणनीतियों, चुनौतियों और जिले के भीतर सतत विकास पर इसके कार्यों के प्रभाव की जांच करता है।

परिचय

भारत में स्थानीय शासन देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे 73वें और 74वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया है। ये संशोधन विकेंद्रीकृत शासन पर जोर देते हैं और पंचायतों और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्रों के विकास के बारे में निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। पंचायतें स्थानीय शासन के लिए एक मंच के रूप में काम करती हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और जमीनी स्तर की चिंताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण हैं। पंचायती राज की अवधारणा न केवल स्वशासन को बढ़ावा देती है बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि नागरिकों की जरूरतों को स्थानीय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीधे संबोधित किया जाए। उत्तर प्रदेश में स्थित जौनपुर जिला पंचायत जैसे स्थानीय निकाय

राज्य या केंद्र सरकार की नीतियों और जमीन पर उनके कार्यान्वयन के बीच सेतु का काम करते हैं। पंचायत प्रणाली का शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचे और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव है। जौनपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, ये स्थानीय संस्थान पर्यावरण संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और टिकाऊ कृषि प्रथाओं जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

जौनपुर जिला: एक अवलोकन

जौनपुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक जिला है, जो भारत के सबसे बड़े और सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक है। जिले में मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी है, और इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि है। जौनपुर में कृषि पद्धतियाँ लंबे समय से क्षेत्र की नदियों और भूजल से प्राप्त जल संसाधनों पर निर्भर हैं, जिससे स्थानीय आबादी के अस्तित्व और आर्थिक कल्याण के लिए पर्यावरणीय स्थिरता महत्वपूर्ण हो गई है।

हालांकि, जौनपुर को कई पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पानी की कमी, भूमि क्षरण, खराब अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाएँ और वनों की कटाई शामिल है। यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति भी संवेदनशील है, जिसने कृषि और जल संसाधनों से संबंधित मुद्दों को और बढ़ा दिया है।

सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण को संरक्षित करने के महत्व को पहचानते हुए, जौनपुर जिला पंचायत को इन पर्यावरणीय चुनौतियों को कम करने के उद्देश्य से नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। सामुदायिक संसाधनों और स्थानीय ज्ञान को एक साथ लाने की पंचायत की क्षमता इसे जिले में सतत विकास प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए अच्छी स्थिति में रखती है।

पर्यावरण लेखा परीक्षा और अन्य प्रणालियों की भी पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए ताकि ऐसे उपायों की उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। यह भी आग्रह किया गया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थानीय स्वशासन को निर्णय लेने के सभी क्षेत्रों में शामिल करने का प्रयास करें जिसमें मानचित्र तैयार करना, वायु, जल, मिट्टी आदि के प्रदूषण के आंकड़ों का संकलन शामिल होगा। इसका मतलब यह होगा कि तकनीकी आंकड़ों की न केवल लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा जांच की जाएगी बल्कि कुछ क्षेत्रों के लिए सुझाव और परिवर्तन लाने की अत्यधिक संभावना होगी जो भूभाग, जलवायु, भूगोल आदि के बारे में अनभिज्ञता के स्पष्ट कारणों से नीति निर्माताओं को चकमा दे सकते हैं। इसने सार्वजनिक सुनवाई, पर्यावरण प्रभाव आकलन के मुद्दों में पंचायती राज संस्थाओं की सुनवाई जैसे उपायों को प्रेरित किया ताकि न केवल संभावित पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा हो सके बल्कि पर्यावरण की रक्षा में स्थानीय स्तर पर संगठित समूहों को भी प्रोत्साहित किया जा सके।

वर्ष 2010 में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ मिलकर एक नई पहल की जिसके तहत नौ राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को ग्राम सभाओं/ग्राम पंचायतों

के अधिकार में स्थानांतरित करने पर सहमति बनी। इसके अलावा यह भी सहमति बनी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों को लागू करते समय, अभयारण्यों की घोषणा और स्थानांतरण आदि जैसे मुद्दों पर पंचायत निकायों के साथ पारदर्शी चर्चा के बाद ही निर्णय लिया जाना चाहिए। ये पहल पर्यावरण की रक्षा में पीआरआई द्वारा निभाई गई व्यापक भूमिका को दर्शाती हैं।

ऐसे संस्थानों के निर्माण के शीघ्र बाद ही न्यायिक व्यवस्था ने भी भारत में पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया था और 1996 तक सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक निगरानी और कार्यकारी उत्तरदायित्व को जोड़ना शुरू कर दिया था। कई राज्यों ने खतरनाक रसायनों के उत्पादन में शामिल कारखानों को बंद करने या स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाए। 1995 में न्यायालय ने इस तथ्य को मान्यता दी कि पर्यावरण में स्वच्छ वातावरण और पारिस्थितिक संतुलन दोनों शामिल हैं और केरल राज्य की ऐसी ही एक सफलता की कहानी भी इसी को प्रतिबिंबित करती है। पिलिकोड की पंचायत द्वारा शुरू किए गए पूर्ण स्वच्छता के लिए जन आंदोलन की हर जगह सराहना हुई। पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए गैर सरकारी संगठनों, राजनीतिक दलों, स्वैच्छिक संगठनों, सांस्कृतिक संगठनों के साथ-साथ महिला मंच की कई बैठकों के साथ एक आधारभूत सर्वेक्षण दल की ही आवश्यकता थी। राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित ऐसी कहानी कोई अपवाद नहीं है, बल्कि 73वें संशोधन के तहत पीआरआई को दी गई सभी नीतियों और प्रावधानों का उचित उपयोग है। टास्क फोर्स और योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण से संबंधित योजना में सामग्री का विकास, जनशक्ति की व्यवस्था करना, उन्हें प्रशिक्षित करना, जागरूकता फैलाना, स्कूलों में इको-क्लब बनाना, इसी तरह के मामलों में शामिल गैर सरकारी संगठनों की पहचान करना आदि शामिल है। सुझावों का न्यूनतम उपयोग करने से गांवों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के कई पहलुओं में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिली है। सभी नीतियों का पूर्ण समन्वय स्थानीय स्वशासन के साथ-साथ पूरे भारत के भविष्य को बदलने में मौलिक होगा।

जल संरक्षण

जल संरक्षण और सुरक्षित पेयजल की सुविधा तथा स्वच्छता उद्देश्यों के लिए इसकी उपलब्धता की ओर हाल ही में ध्यान दिए जाने के साथ, जल संरक्षण उन बड़े मुद्दों में से एक बन गया है, जिन पर पीआरआई को ध्यान देने की आवश्यकता है। हाल ही में एक घोषणा में, जल से संबंधित मुद्दों पर अंकुश लगाने के लिए, सिरिसा में जिला प्राधिकरण ने पेयजल संरक्षण की दिशा में काम करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की थी। पेयजल की सतत उपलब्धता और पेयजल की गुणवत्ता दो प्रमुख मुद्दे हैं, जिन्होंने विभिन्न ग्राम पंचायतों को प्रभावित किया है, जो जनसंख्या, ग्राम पंचायत का स्थान या ग्राम पंचायत के भीतर विभिन्न बस्तियों, मौसम, मानसून आदि जैसे कारकों के साथ भिन्न हैं। इस तरह के पीआरआई निस्संदेह स्थानीय लोगों के लाभ के लिए शुरू किए गए हैं, हालांकि, उनकी जिम्मेदारियाँ बहुत अधिक हैं। जल संरक्षण के संबंध में, ग्राम पंचायतों की संबंधित भूमिकाओं में शामिल हैं:

- जल से संबंधित विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों को उठाने के लिए संस्थाओं (स्थायी समितियों/ उपसमितियों/विभाग समितियों) का गठन, पोषण और सुदृढ़ीकरण।
- ग्राम सभाओं में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जल-संबंधी निर्णय लेने को व्यापक बनाना। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए ग्राम सभा की व्यवस्था और संचालन करना।
- निर्णय लेने में ग्राम पंचायत के प्रत्येक नागरिक को शामिल करके जल संसाधनों पर उनका स्वामित्व बनाना और बनाए रखना।
- अतिक्रमण से जल निकायों की सुरक्षा/संरक्षण।

संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 कार्य बताए गए हैं जिन्हें पीआरआई को सौंपा जा सकता है, जिनमें से कई कार्य जल की उपलब्धता से बहुत निकटता से जुड़े हैं जैसे कृषि, सिंचाई, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि। पीआरआई के तहत चिह्नित वाटरशेड विकास परियोजनाएँ ऐसे संरक्षण की सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक बन गई हैं फिर भी ऐसी परियोजनाओं में पीआरआई की भूमिका सीमित है। इसका एक बड़ा कारण केंद्र प्रायोजित योजनाओं की बढ़ती संख्या है, जिसने पीआरआई को निर्णय लेने वाले निकाय के बजाय केवल कार्यान्वयन करने वाले निकाय तक सीमित कर दिया है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत में भूभाग, भूगोल और जलवायु के मामले में विविधता है, यही वजह है कि एक केंद्र प्रायोजित योजना जो एक निश्चित क्षेत्र में सफल रही है, वह हर जगह एक जैसा परिणाम नहीं दे सकती है और ऐसी परियोजनाएँ पूरी तरह से विफल हो सकती हैं। धन का अनुचित आवंटन, पंचायतों के लिए परिभाषित कार्यों पर विनियामक नियंत्रण, पीआरआई को शामिल करने के लिए कई प्राधिकरणों और संस्थानों की अनिच्छा, महिला सशक्तिकरण की कमी, राजनीतिक और सत्ता संघर्ष, पीआरआई की विश्वसनीयता पर सवाल भी एक सफल जल संरक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मुद्दों के रूप में शामिल हैं।

ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था के प्रबंधन को राज्य सरकार और ग्राम पंचायत के बीच विकल्प या चुनाव के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह प्रबंधन व्यवस्था के प्रति एक प्रमुख दृष्टिकोण है, जिसमें सरकार और ग्राम पंचायत के बीच पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। राज्य सरकार और ग्राम पंचायत ने स्पष्ट रूप से परिभाषित और स्थापित भूमिकाएँ की हैं जो एक दूसरे से अलग हैं। यह आवश्यक है कि दोनों ही इसे समझें और स्वीकार करें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण समुदायों के लिए जल संरक्षण कोई नई बात नहीं है। भारत में यह एक लंबी पारंपरिक प्रथा रही है, जहां गांवों ने जल की कमी की चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए हैं। वर्तमान में लगातार समस्याएं सामूहिक प्रयास की कमी और जल संरक्षण और उपयोग के लिए गैर-सहभागी दृष्टिकोण हैं। पीआरआई का दायित्व और जिम्मेदारी अच्छे सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना और निम्नलिखित सुनिश्चित करना है:

- जल संरक्षण कार्यक्रम को लोगों का कार्यक्रम बनाएं, जिसमें महिलाएं, हाशिए पर रहने वाले समुदाय और ग्राम पंचायत के सभी परिवार शामिल होंगे
- लोगों तक पहुंचें और परियोजना गतिविधियों में भाग लेने के लिए उनकी रुचि पैदा करें;
- निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना तथा ग्राम संस्थाओं के निर्माण के माध्यम से उन्हें निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करना
- निर्णय लेने तथा वित्तीय मामलों में पारदर्शिता तथा खुलापन सुनिश्चित करना
- अभिसरण तथा तकनीकी सहायता के लिए विभागों तथा उनके पदाधिकारियों से संपर्क करना
- वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना के एक घटक के रूप में जल संसाधन योजना को शामिल करना
- जल संसाधनों के लिए योजना बनाना बजटीय प्रावधान करना।

एक और जरूरी परिस्थिति जिसे काफी हद तक नजरअंदाज किया गया है, वह है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पर्याप्त पेयजल सेवाएँ सुनिश्चित करना। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, लोग अक्सर अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं और घर पर भी, उन्हें सुरक्षित पेयजल नहीं मिल पाता। ग्राम पंचायत की भूमिका में शामिल हैं:

- आपदा से पहले के कदम – आपदा की आशंका होने पर उठाए जाने वाले कदम (तैयारी)
- आपदा के दौरान – आपदा के वास्तव में घटित होने पर उठाए जाने वाले कदम
- आपदा के बाद – आपदा के बाद उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदम।

जल संरक्षण की सफल योजना बनाने के लिए तीन जरूरी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। पहला, राज्यों, पीआरआई और अन्य संस्थाओं को इस बात का सम्मान करना चाहिए कि संविधान के तहत मौलिक अधिकार और ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का निर्माण गैर-परक्राम्य, अनिवार्य और लागू करने योग्य है। दूसरा, जल आपूर्ति कार्य का विवरण जो अर्ध-सरकारी एजेंसियों, जल बोर्ड आदि से लिया जाता है, सेवा के लिए जवाबदेही पंचायतों/नगरपालिकाओं के पास रहती है, राज्य सरकारों द्वारा तय किया जाना है। तीसरा, किसी भी स्थिति में, जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के साथ-साथ नगर निगम/परिषदें भारत

के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में “राज्य” हैं और आज से प्रत्येक व्यक्ति के पानी के मौलिक अधिकार का सम्मान करने के लिए कर्तव्य-धारक हैं।

आज तक भारत में केवल कुछ ही राज्यों ने भूजल कानून को विशेष रूप से लागू किया है। इसके अलावा, ये कानून सीमित क्षेत्रों में लागू होते हैं, इनके उद्देश्य सीमित होते हैं और आम तौर पर गैर-कार्यान्वयन मुद्दों से ग्रस्त होते हैं। इनमें से अधिकांश में शामिल हैं:

- कुओं/बोरवेल/ट्यूबवेल की गहराई पर प्रतिबंध, और
- भूजल संरक्षण और सुरक्षा क्षेत्रों की घोषणा, विशेष रूप से पीने के पानी के स्रोतों के आसपास।

आम तौर पर, रूढ़िवादी उपायों के इन रूपों का कार्यान्वयन पहले जिला कलेक्टर के पास होता था और समुदाय-स्तरीय संस्थानों के लिए इसमें कोई विशेष भूमिका नहीं होती थी। दशक के नए कानूनों में ये सभी बुनियादी विशेषताएं बरकरार हैं। विभिन्न राज्य भूजल कानूनों के दो महत्वपूर्ण क्रॉसकटिंग बिंदु बारीकी से सराहना के पात्र हैं। पश्चिम बंगाल उन कुछ राज्यों में से एक है, जिनकी नीति सीमित है जैसे कि राज्य स्तरीय प्राधिकरण को “भूजल संसाधनों की योजना और वास्तविक प्रबंधन में लोगों की भागीदारी और भागीदारी को व्यवस्थित करने” की आवश्यकता वाले प्रावधान। वास्तव में, 1999 में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित कानूनी, संस्थागत और वित्तीय पहलुओं पर एक कार्य समूह ने केंद्रीय मॉडल भूजल कानून के तहत 'कमांड और नियंत्रण' तंत्र के साथ व्यापक अलगाव के संदर्भ का उल्लेख करते हुए सुझाव दिया था कि सबसे अच्छा विकल्प भूजल प्रबंधन में भागीदारी प्रक्रियाओं को शुरू करना है जिसमें राज्य की भूमिका एक सुविधाकर्ता की हो सकती है और उपयोगकर्ता संगठन या पंचायत की भूमिका एक कार्यान्वयन नियामक एजेंसी के रूप में हो सकती है।

उद्देश्य

इस शोध-पत्र का उद्देश्य पर्यावरण नीतियों के क्रियान्वयन में जौनपुर जिला पंचायत की विशिष्ट भूमिका का पता लगाना है। इस शोध के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- 1- पर्यावरण शासन के संदर्भ में जौनपुर जिला पंचायत की संरचना और कार्यप्रणाली का विश्लेषण करना।
- 2- जिले के सामने आने वाली पर्यावरणीय चुनौतियों और इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए पंचायत के नेतृत्व वाली पहलों की प्रासंगिकता की जांच करना।

अनुसंधान क्रियाविधि

उत्तर प्रदेश राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है, तथा उसे पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करते हुए आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक आवासों के लिए एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा है, जिसका कृषि, प्राकृतिक संसाधनों, स्वास्थ्य और राज्य की सामाजिक-आर्थिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है, क्योंकि यहां की एक बड़ी आबादी आजीविका के लिए कृषि, वानिकी और जल संसाधनों पर निर्भर है। चूंकि, राज्य की अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, इसलिए इन पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव गरीबी को कम करने और आबादी के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न करेगा। यह जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को हमारी नीतियों में एकीकृत करने और समावेशी विकास के साथ सतत विकास के अंतिम उद्देश्य को सुनिश्चित करने का एक उपयुक्त समय है। जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना को सरकार की नीतियों और योजनाओं में जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई को शामिल करते हुए सतत समावेशी विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसलिए, इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए अच्छी तरह से शोध और तैयार की गई शमन और अनुकूलन रणनीतियों को विकसित करना है। जलवायु परिवर्तन का मुद्दा बहुविषयक है और इसके लिए अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण की आवश्यकता है, जिसके लिए अंतर-विभागीय समन्वय के साथ-साथ सभी संबंधित हितधारकों के साथ ज्ञान के प्रसार द्वारा रचनात्मक जुड़ाव की आवश्यकता है। पर्यावरण विभाग रणनीतिक ज्ञान मिशन के लिए नोडल विभाग है और इसे सतत विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी को मुख्यधारा में लाने का कार्य सौंपा गया है।

परिणाम

तालिका 1 पंचायती राज संस्थाओं की बैठको में निर्णय।

ग्राम पंचायत का नाम	जन सहमति से निर्णय लिए, यह बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	निर्णय की जानकारी नहीं होने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	योग
मल्लूपुर	12	06	18
नकहरा खानदेव	10	05	15
महमूदपुर	12	—	12
अन्य	04	01	05

कुल योग	38	12	50
---------	----	----	----

38 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं कि बैठकों में निर्णय जन सहमति से लिए जाते हैं जबकि 12 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि उन्हें जानकारी नहीं है। शोधार्थी का मानना है कि निर्णय जन सहमति से ही लिए जाते हैं। लोकतंत्र में यह आवश्यक भी है।

तालिका 2 राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने वाले जनप्रतिनिधि

ग्राम पंचायत का नाम	प्रशिक्षण में भाग लेने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	योग
मल्लूपुर	09	07	16
नकहरा खानदेव	06	06	12
महमूदपुर	05	05	10
अन्य	04	—	04
कुल योग	24	18	42

24 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि वे राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेते हैं जबकि 18 जनप्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया। शोधार्थी का मानना है कि जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण में भाग लेने से उनका दृष्टिकोण सकारात्मक दिखता है। प्रशिक्षण लेने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या ठीक है लेकिन सभी के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए।

तालिका 3 पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों को बताने वाले जनप्रतिनिधि ।

ग्राम पंचायत का नाम	कार्यों को बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	कार्य नहीं बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	योग
---------------------	--	--	-----

मल्लूपुर	16	—	16
नकहरा खानदेव	12	—	12
महमूदपुर	10	—	10
अन्य	04	—	04
कुल योग	42		42

सभी 42 जनप्रतिनिधियों ने पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों को बताया। शोधार्थी का मानना है कि सभी जनप्रतिनिधि पंचायत राज संस्थाओं के कार्यों में रुचि लेने लगे हैं। उन्हें सामान्य जानकारी है जैसे सड़को, नालियों का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, हैण्डपम्पों का रखरखाव, ग्रामीण स्वच्छता, शौचालयों का निर्माण, बाजार, मेले, पौधारोपण चरागाहों का विकास।

तलिका 4 पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किए गये विभागों की जानकारी रखने वाले जनप्रतिधियों

ग्राम पंचायत का नाम	पंचायती राज संस्थाओं के विभागों की जानकारी रखने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	पंचायती राज संस्थाओं के विभागों की जानकारी नहीं रखने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	योग
मल्लूपुर	04	12	16
नकहरा खानदेव	03	09	12
महमूदपुर	03	07	10
अन्य	02	02	04
कुल योग	12	30	42

12 जनप्रतिनिधियों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किए गये विभागों के बारे में जानकारी है जबकि 30 जनप्रतिनिधियों को विभागों की जानकारी नहीं है शोधार्थी का मानना है कि पंचायत राज संस्थाओं के अधिकारी जनप्रतिनिधियों को पूर्ण जानकारी नहीं देते हैं।

तलिका 5 पर्यावरण के बारे में जानकारी रखने वाले जनप्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत का नाम	पर्यावरण के बारे में जानकारी रखने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	जानकारी नहीं रखने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	योग
मल्लूपुर	16	—	16
नकहरा खानदेव	12	—	12
महमूदपुर	10	—	10
अन्य	04	—	04
कुल योग	42		42

सभी 42 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पर्यावरण मतलब हमारे आस-पास के वातावरण से हैं।

पर्यावरण प्रदूषण धुएँ के कारण, कीटनाशकों के छिड़काव के कारण, गंदे पानी को नदियों में, तालाबों में डालने से, प्लास्टिक से और खुले में शौच करने से होता है। शोधार्थी का मानना है कि सभी जनप्रतिनिधियों को पर्यावरण की सामान्य जानकारी है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड :- सन्तुलित खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग से प्रति इकाई गुणवत्ता पूर्वक अधिक उत्पादन प्राप्त करने की दृष्टि से मृदा संरक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत मल्लूपुर द्वारा कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। ग्राम पंचायत मल्लूपुर में मिट्टी के 340 नमूने लिए हैं। शीघ्र ही किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिये जायेंगे।

जैविक खेती :- ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्र के किसानों को जैविक खेती अपनाने हेतु प्रेरित किया जाता है। सरकार द्वारा वर्मी कम्पोस्ट पिट इकाई यूनिट की स्थापना हेतु प्रति किसान 24000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में सभी किसानों के पास पालतू जानवर हैं और इनके

गोबर को खेतों में डाला जाता है। यहां 80% से अधिक किसान कृषि कार्य में जैविक खाद का ही प्रयोग करते हैं। यहां वर्मी कम्पोस्ट यूनिट से 2 किसानों को लाभ पहुंचाया है।

शोधकर्ता द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों का अवलोकन :- ग्राम पंचायत मल्लूपुर में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिकांश कार्य मनरेगा योजना के अंतर्गत किए गए हैं। जैसे वृक्षारोपण कार्य, तालाब निर्माण, सड़क निर्माण, भूमि समतलीकरण, मेड़बन्दी, कुआ निर्माण आदि।

वृक्षारोपण कार्य :- ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण कार्य किया है। जैसे चारागाह भूमि पर, श्मशान के निकट परती भूमि पर, देवस्थान भूमि के पास व सरकारी व निजी भवनों की चारदीवारी के अन्दर वृक्षारोपण कार्य किया है और इन स्थानों पर पौधे जीवित अवस्था में हैं।

निष्कर्ष

जौनपुर जिला पंचायत भारत में जमीनी स्तर पर पर्यावरण नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में एक अपरिहार्य भूमिका निभाती है। एक विकेन्द्रीकृत स्थानीय निकाय के रूप में, पंचायत ग्रामीण समुदायों को प्रभावित करने वाली विविध और विशिष्ट पर्यावरणीय चुनौतियों जैसे कि जल की कमी, अपशिष्ट प्रबंधन, वनों की कटाई और मिट्टी के क्षरण को संबोधित करने के लिए अद्वितीय रूप से स्थित है। समुदाय के साथ अपनी निकटता के माध्यम से, पंचायत यह सुनिश्चित कर सकती है कि राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय पर्यावरण नीतियों को न केवल समझा जाए बल्कि स्थानीय आवश्यकताओं और स्थितियों को पूरा करने के लिए तैयार भी किया जाए। इस अध्ययन ने प्रदर्शित किया है कि जौनपुर जिला पंचायत जैसी स्थानीय शासन संस्थाएँ राष्ट्रीय उद्देश्यों और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) सहित व्यापक वैश्विक पर्यावरण एजेंडे दोनों के साथ संरेखित स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हैं। सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने, आवश्यक संसाधन प्रदान करने और विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने के माध्यम से, पंचायत में पर्यावरणीय परिणामों में पर्याप्त सुधार लाने की क्षमता है। वनीकरण, जल संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा पहल जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से, पंचायत पर्यावरणीय क्षरण के प्रतिकूल प्रभावों को कम कर सकती है और अपने निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है।

सन्दर्भ सूची

1. भार्गव, बी.एस. पंचायती राज संस्थाएँ: अशोक मेहता समिति के मुद्दों, समस्याओं और सिफारिशों का विश्लेषण। आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
2. भार्गव, बी.एस. पंचायती राज प्रणाली और राजनीतिक दल। आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

3. भार्गव, बी.एस., और लक्ष्मी नारायण। कर्नाटक में नगर पंचायतें। आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
4. माहेश्वरी, श्रीराम। भारत में स्थानीय स्वशासन। ओरिएंट लॉन्गमैन, नई दिल्ली, 1974।
5. मालवीय, एच.डी. भारत में ग्राम पंचायतें। आर्थिक राजनीतिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, 1956।
6. महिपाल अतीत वर्तमान और भविष्य। सारांश प्रकाशन, नई दिल्ली, 1996।
7. मेहता, सुशीला। भारत में महिलाओं का विकास और स्थिति। मेट्रोपॉलिटन बुक कंपनी (पी) लिमिटेड, नई दिल्ली, 1982।
8. मिश्रा, एस.एन. ग्रामीण विकास और मंत्रालय के क्षितिज। मित्तल प्रकाशन, दिल्ली, 1989।
9. मैडिक, हेनरी। "क्या पंचायती राज एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए एक एजेंसी बन सकता है?" पंचायती राज में, टी.एन. चतुर्वेदी द्वारा संपादित, आईआईपीए, नई दिल्ली, 1981।
10. मैडिक, हेनरी। पंचायती राज। एस. चंद, नई दिल्ली, 1988.
11. मैथ्यू, जॉर्ज, सं. कर्नाटक में पंचायती राज आज. कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1985.
12. मैथ्यू, जॉर्ज. जम्मू और कश्मीर में पंचायती राज. नई दिल्ली, 1990.
13. मिश्रा, एल.एन. पंचायती राज, नौकरशाही और ग्रामीण विकास. आईआईपीए, नई दिल्ली, 1986.
14. मिल, जे.एस. मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थॉट, खंड 3. जी.जी. हैरप कंपनी, लंदन, 1959.
15. मैथ्यू, जॉर्ज. पंचायती राज: कानून से आंदोलन तक. इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, नई दिल्ली, 1995.
16. मनु, उद्धाता, महामहोपाध्याय झा. मनुशास्त्र, भाग 1. परिमल प्रकाशन, दिल्ली, 1992.
17. राव, डी.वी. राघव. पंचायत और विकास. आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1980.
18. बेंडिक्स, रेनहार्ड. राष्ट्र निर्माण और नागरिकता. न्यूयॉर्क.

19. रेड्डी, जी. राम. भारत में पंचायती राज के पैटर्न. मैकमिलन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास, 1977.
20. शाह, बी०एल०—पंचायती राज, काशमों पब्लिकेशन, 1990
21. शिविया, एम० एवं अन्यय पंचायती राज, नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, हैदराबाद, 1976.
22. शिवाय, बी०एल० पंचायती राज एन एनलिकल सर्वे, नेशनल इन्स्टीट्यूशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद, 1984